



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-व.सं./ 22 / 2020-467

प्रेषक,

राकेश कुमार भा0व0स0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक-09/06/2021

विषय — लखीसराय एवं मुंगेर जिलान्तर्गत मोकामा—मुंगेर पथ किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.5591 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Pipelines/44265/2020/4231 दिनांक 22.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 2.5591 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के पत्रांक IOCL/ERPL/CGD/BGP/Forest/Munger/10.02/01 दिनांक 30.10.2020 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर का पत्रांक 209 दिनांक 28.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है—

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 22.09.2020 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पाईप लाईन निर्माण के क्रम में अपयोजित होने वाली वन भूमि के वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Net Present Value (NPV):	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 2.5591 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये
a)	The State Government shall Charge the Net Present Value (NPV) for the 2.5591 ha forest area to be diverted under this proposal from	बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रु० प्रति

	the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt-II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/ 2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 in this regard.	हे० की दर पर कुल रु० 16,01,997/- 50% राशि रु० 8,00,998/- (रुपये आठ लाख नौ सौ अनठानवें) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA funds only through e-portal (https://praviesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV मद की कुल राशि रु० 8,00,998/- (रुपये आठ लाख नौ सौ अनठानवें) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. SBIN320304443536 दिनांक 30.10.2020 एवं राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 459 दिनांक 01.07.2020 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 209 दिनांक 28.01.2021 द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई गयी है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency Indian Oil Corporation Limited shall undertake appropriate afforestation measures all around the project site related to this approval, in consultation with the State Forest Department, at the project cost.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
6	Trench size shall not be more than two meter in depth and one meter in width.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7	After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	The User Agency will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

9	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में नियोजित मजदूरों एवं Working staff को LPG अथवा अन्य ईंधन की सुविधा दी जायेगी जिससे नियोजित कर्मी निकट के वन को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
10	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना परियोजना के lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
11 a	The forest land under diversion shall not be used for any purposed other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
b	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the pipeline project life/ requirement.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।
c	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29.01.2018	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।
13	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियमों का पालन किया जायेगा।

14	The compliance report shall be uploaded on e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधि- शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन Ministry website पर uploaded कर दिया गया है।
----	---	---

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार से विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.5591 हे० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/—

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— व.सं./22/2020-467 दिनांक -09/06/2021


प्रतिलिपि — मुख्य प्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पूर्वी क्षेत्र पाइप लाइन्स, पटना को सूचनार्थ।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi				
2	State/Dist./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/ Lakhisarai and Munger Forest Division, Munger				
3	Name of User Agency nature of proposal	The General Manager, Indian Oil Corporation Ltd, Patna, Bihar				
4	Extent of forest area involved	2.5591 ha				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA				
7	Date of 1st stage Clearance	22/09/2020				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation					
	b. Additional CA					
	C. Penal CA					
	d. Catchment Area Treatment					
	e. Wildlife Management Plan					
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas					
	g. Net present Value	8,00,998/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)					
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	S.No	MODE Remtt.	UTR No. and Dated	Amount	Head
		1	RTGS	SBIN320304443536 dt. 30.10.2020	8,00,998/-	NPV
		TOTAL			8,00,998/-	
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 30.10.2020				
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 30.10.2020				
12	Any other remarks					


 Signature of APCCF (CAMPA),
 -Cum-Nodal Officer (FC)